

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स. 3(3)(2) स्था/मंत्रा./अभि./2018/पार्ट-1/ 8647-73

दिनांक:- 21/6/19

--: आदेश :-

अभियोजन विभाग में अत्यधिक संख्या में कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त मंत्रालयिक सेवा के कार्मिकों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवानिवृत्त कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पर पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कालम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


क्र.सं.	आवेदक का नाम	सेवानिवृत्ति से पूर्व का पद एवं विभाग	जन्म तिथि	कार्यालय जहाँ नियुक्ति की जानी है।	वि.विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री विनोद कुमार अग्रवाल,	वरिष्ठ रीडर, न्याय विभाग	01.09.57	एडीपी अजमेर	प्रथम बार
2.	श्री राजमल सुमन,	पर्यवेक्षक बीमा विभाग	22.06.57	एडीपी बारा	प्रथम बार
3.	श्री रामविलास मीना,	वरिष्ठ सहायक, राजस्व विभाग	24.06.58	एडीपी झालावाड	प्रथम बार
4.	श्री मांगीलाल मेघवाल,	रीडर, न्याय विभाग	05.07.58	एडीपी झालावाड	प्रथम बार
5.	श्री मोहन लाल मीणा,	वरिष्ठ मुन्सरिम, न्याय विभाग	10.06.58	एडीपी सिरोही	प्रथम बार
6.	श्री सुरेश चन्द सिंगारिया,	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, बीमा विभाग	05.05.58	एडीपी चित्तौड़गढ़	प्रथम बार
7.	श्री रामलाल पटेल,	कनिष्ठ सहायक, राजस्व विभाग	03.11.58	एडीपी झूगरपुर	प्रथम बार
8.	श्री निरंजन देव,	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	10.08.58	एडीपी करोली	प्रथम बार
9.	श्री लालू राम,	अति. प्रशासनिक अधिकारी, अभियोजन विभाग	01.02.59	एडीपी जयपुर देहात	प्रथम बार
10.	श्री सुरेश कुमार जैन,	रीडर, न्याय विभाग	16.15.58	एडीपी उदयपुर	प्रथम बार
11.	श्री रामचरण शर्मा,	सहायक प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा विभाग	25.04.59	एडीपी टोंक	प्रथम बार
12.	श्री श्रीराम छीपा,	रीडर-प्रथम, न्याय विभाग	30.12.58	एडीपी बीकानेर	प्रथम बार
13.	श्री शिवलहरी विजय,	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	08.01.58	एडीपी जयपुर प्रथम	द्वितीय बार
14.	श्री दुर्गानिवास चौबीसा,	वरिष्ठ सहायक	08.07.57	एडीपी उदयपुर	द्वितीय बार
15.	श्री खेमराज रैगर,	रीडर, न्याय विभाग	11.12.57	एडीपी उदयपुर	द्वितीय बार
16.	श्री लाल सिंह,	सीनियर रीडर, न्याय विभाग	15.07.56	एडीपी हनुमानगढ़	द्वितीय बार
17.	श्री तुलसीदास,	वरिष्ठ सहायक, वन विभाग	05.06.55	एडीपी हनुमानगढ़	द्वितीय बार
18.	श्री मदन लाल,	कनिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	04.04.57	एडीपी नागौर	द्वितीय बार

19.	श्री कमल किशोर शर्मा,	अति. प्रशा. अधि, अभियोजन विभाग	01.01.58	एडीपी अजमेर	द्वितीय बार
20.	श्री कन्हैया सिंह चौहान,	कनिष्ठ सहायक, न्याय विभाग	07.06.57	एडीपी जालावाड़	द्वितीय बार
21.	श्री हीरालाल मीमरोट,	वरिष्ठ सहायक, अभियोजन विभाग	02.01.58	एडीपी कोटा	द्वितीय बार
22.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा,	सीनियर शीडर, न्याय विभाग	15.11.56	एडीपी बाडमेर	द्वितीय बार
23.	श्रीमती निर्मला मिश्रा,	कनिष्ठ सहायक, रा.रा.प.प. निगम	14.03.57	एडीपी अजमेर	द्वितीय बार
24.	श्री उमेश चन्द वेष्णव,	अति.प्रशासनिक अधि. अभियोजन विभाग	05.01.58	एडीपी अजमेर	द्वितीय बार

- 1 कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.।।/94 दिनांक 08.02.2018 के क्रम में नियुक्ति आदेश संबन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर जारी करेगा।
- 2 पुनः नियुक्त अधिकारी सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में राशि रूपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
- 3 चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को प्रस्तुत करेंगे।
- 4 सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकता है।
- 5 समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगी।
- 6 पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा उक्त आदेश के जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
- 7 इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01-(01) संवत्तन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।


यह आदेश गृह (ग्रुप-10) विभाग से प्राप्त सहमति आई.डी. सं. RAJ-E 00053/H-10/19 दिनांक 17.06.2019 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिक को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें, तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


(एस.एन.व्यास)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
4. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर